राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू.	अंतिम निर्णय दिनांक 14.7.25
14 / 2025	09.01.2025	

उनवानः

1. सिद्धार्थ यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जाति अहीर निवासी राजपुरा तह0 अटेली जिला महेन्द्रगढ हरि0
2. सुबोध उम्र 38 र्व पुत्र अजीतसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम कापासेडा चतर्भूज मार्ग, नई दिल्ली।
3. अशोक अरोडा पुत्र श्री वजीरचन्द जाति पंजाबी निवासी 38सी, 173 पंजाबीबाग वेस्ट दिल्ली–110026
4. राजा अरोडा पुत्र अशोक अरोडा जाति पंजाबी निवासी 38सी, 173 पंजाबीबाग वेस्ट दिल्ली–110026

...........वादीगण

बनाम

1. जगदीश सिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी कुतीना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2 उप पंजीयक नीमराना तह0 नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितिः– श्री नोपेन्द्र कुमार शर्मा योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1569 रकबा 0.29 है0, 1570 रकबा 0.60 है0, 1571 रकबा 0.45 है0, 1572 रकबा 0.40 है0, वाके ग्राम कुतीना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड मे स्थित है जिसमे वादी सं0 1 हिस्सा–1/8 का, वादी सं0 2 हिस्सा–13/72 का, वादी सं0 3 हिस्सा– 13/36 का, वादी सं0 4 हिस्सा–11/36 का खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा प्रतिवादी सं0 1 हिस्सा–1/36 का खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा आराजी मुतनाजा का मौके पर बाहमी बंटवारा किया हुआ है। बाहमी बंटवारा के मुताबिक उक्त आराजी के तरफ पश्चिम मे वादीगण का कुल खातेदारी हिस्सा है तथा तरफ पश्चिम मे प्रतिवादीगण का कुल हिस्सा है। इसी अनुसार मौके पर काबिज है। हम वादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा का बाहमी बंटवारा के मुताबिक विधिवत रूप स तकासमा करवाने के लिए प्रतिवादीगण से कहा तो प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारा के मुताबिक आराजी मुतनाजा का विभाजन करवाने से साफ इंकार कर दिया और हम वादीगण के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने व उसे अपनी बताकर दिगर जगह मुन्तकिल करने की धमकी दी है। इसलिए वादीगण ने आराजी मुतनाजा का बाहमी बंटवारा के मुताबिक विभाजन करने एवं प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाने की प्रार्थना की गई।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी सं0 1,2,3 की अखबार के जरिये तामिल होने के बावजूद भी न्यायालय मे तारीख पेशी पर उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई।

तत्पश्चात वकील वादीगण द्वारा दावा को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नीमराना से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया। जमाबन्दी हाल के मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 आराजी मुतनाजा के सहखातेदार है। लेकिन प्रतिवादी सं0 1 व 2 वावजूद तामिल न्यायालय मे उपस्थित नही आये। दावा विभाजन का है। इसलिए विना विभाजन का प्रस्ताव मंगवाई आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जाना सम्भव नही है। इसलिए न्याय हित मे वादीगण के वाद पत्र को दिनांक 12.06.2025 को प्रारम्भिक डिक्री किया गया।

तहसीलदार नीमराना द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12.06.2025 की पालना मे वादग्रस्त खसरा नम्बर 1569 रकबा 0.29 है0, 1570 रकबा 0.60 है0, 1571 रकबा 0.45 है0, 1572 रकबा 0.40 है0, वाके ग्राम कुतीना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड की कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 03.07.2025 को तैयार करवाकर इस न्यायालय मे दिनांक 10.07.2025 को पेश की गई । वकील वादीगण उपस्थित, तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट के विरूद्ध कोई आपत्ति पेश नही की गई। इसलिए तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण,तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 03.07.2025 के मुताबिक डिक्री किया जाता है कि :–

क्र.सं	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	जगदीश पुत्र अमरसिंह सम्पूर्ण हिस्सा जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	1569/1	0.05
		कुल किता–5 रकबा 0.41 है0	

क्र.सं	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	अशोक अराडा पुत्र बजीरचन्द हि0 63/169 पंजाबी सा0 वेस्ट दिल्ली खातेदार	1569/2	0.24
2.	राजा अरोरा पुत्र अशोक अरोरा हि. 53/169 पंजाबी सा0 दिल्ली खातेदार	1570	0.60
3.	सुबोध पुत्र अजीतसिंह हि0 31/169 अहीर कापारेडा दिल्ली खातेदार	1571	0.45
4.	सिद्धार्थ यादव पुत्र सुरेन्द्र कुमार हि0 22/169 अहीर सा0 राजपूरा अटेली खातेदार	1572	0.40
		कुल किता–4 रकबा 1.69 है0	

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लंगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमांर होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 14.7.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक 14.7.25
14/2025	09.01.2025	

उनवानः

1. सिद्धार्थ यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जाति अहीर निवासी राजपुरा तह0 अटेली जिला महेन्द्रगढ हरि0
2. सुबोध उम्र 38 वं पुत्र अजीतसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम कापासेडा चतर्भूज मार्ग, नई दिल्ली।
3. अशोक अरोडा पुत्र श्री वजीरचन्द जाति पंजाबी निवासी 38सी, 173 पंजाबीबाग वेस्ट दिल्ली–110026
4. राजा अरोडा पुत्र अशोक अरोडा जाति पंजाबी निवासी 38सी, 173 पंजाबीबाग वेस्ट दिल्ली–110026

...........वादीगण

बनाम

1. जगदीश सिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी कुतीना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. उप पंजीयक नीमराना तह0 नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितिः– श्री नोपेन्द्र कुमार शर्मा योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण,तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 03.07.2025 के मुताबिक डिक्री किया जाता है कि :–

क्र.सं	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	जगदीश पुत्र अमरसिंह सम्पूर्ण हिस्सा जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	1569/1	0.05
		कुल किता–5 रकबा 0.41 है0	

क्र.सं	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	अशोक अराडा पुत्र बजीरचन्द हि0 63/169 पंजाबी सा0 वेस्ट दिल्ली खातेदार	1569/2	0.24
2.	राजा अरोरा पुत्र अशोक अरोरा हि. 53/169 पंजाबी सा0 दिल्ली खातेदार	1570	0.60
3.	सुवोध पुत्र अजीतसिंह हि0 31/169 अहीर कापासेडा दिल्ली खातेदार	1571	0.45
4.	सिद्धार्थ यादव पुत्र सुरेन्द्र कुमार हि0 22/169 अहीर सा0 राजपूरा अटेली खातेदार	1572	0.40
		कुल किता–4 रकबा 1.69 है0	

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.7.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)